

दिनांक 25 जून 2019 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 25वीं

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 25 जून 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. प्रो. अविनाश खरे<br>कुलपति   | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. पूरबी राँय<br>पूर्व प्रोफेसर<br>अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग<br>यादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता | - | सदस्य   |
| 3. प्रो. ए.एस.चंदेल<br>पुस्तकालयाध्यक्ष   | - | सदस्य   |
| 4. प्रो. अभिजीत दत्ता<br>डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ   | - | सदस्य   |
| 5. प्रो. नवल किशोर पासवान<br>डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ   | - | सदस्य   |
| 6. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय<br>डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ  | - | सदस्य   |
| 7. डॉ. के.आर.राम मोहन<br>डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ  | - | सदस्य   |
| 8. डॉ. कविता लामा<br>डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ  | - | सदस्य   |
| 9. डॉ. लक्ष्मण शर्मा<br>छात्र कल्याण डीन  | - | सदस्य   |
| 10. डॉ. सूचिस्मिता दत्ता<br>प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय<br>बुर्तुक, ईस्ट सिक्किम            | - | सदस्य   |
| 11. डॉ. एन.आर. भूयाँ<br>प्राचार्य, हिमालयन फार्मोसी संस्थान   | - | सदस्य   |
| 12. प्रो. मोहम्मद यासीन,<br>अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग  | - | सदस्य   |
| 13. प्रो. शांति एस. शर्मा<br>अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग   | - | सदस्य   |
| 14. प्रो. जेता सांकृत्यायन<br>अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग  | - | सदस्य   |
| 15. प्रो. संजय बंदोपाध्याय<br>अध्यक्ष, संगीत विभाग  | - | सदस्य   |
| 16. डॉ. प्रवीण मिश्रा<br>अध्यक्ष, विधि विभाग  | - | सदस्य   |
| 17. डॉ. विजय कुमार थांगेलापाली<br>अध्यक्ष, इतिहास विभाग   | - | सदस्य   |
| 18. डॉ. एच.के.तिवारी,<br>अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग   | - | सदस्य   |
| 19. डॉ. नीलाद्रि बाग<br>सह प्राध्यापक, उच्चानिकी विभाग  | - | सदस्य   |
| 20. डॉ. संध्या थापा<br>अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग   | - | सदस्य   |

21. डॉ. स्वरूप राँय अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग	-	सदस्य
22. डॉ. योदीदा भूटिया अध्यक्ष, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
23. डॉ. रोजी चामलिंग अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
24. डॉ. विमल खवास अध्यक्ष, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग	-	सदस्य
25. डॉ. अनिल कुमार मिश्रा अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग	-	सदस्य
26. डॉ. सत्यानंद पंडा अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
27. डॉ. पुष्पा शर्मा अध्यक्ष, नेपाली विभाग	-	सदस्य
28. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
29. प्रो. एन. सत्यनारायण प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
30. प्रो. मनेश चौबे प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
31. डॉ. एस.एस.महापात्र प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
32. डॉ. नीलाद्रि बाग सह प्राध्यापक ,उद्यानिकी विभाग	-	सदस्य
33. डॉ. राजेश राज एस.एन. सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
34. डॉ. एस. मणिवन्गन, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग	-	सदस्य
35. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
36. श्री देवाशीष पाल वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
37. श्री टी.के.कौल, कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी

1. प्रो. नृपेन्द्र नाथ मंडल, प्रोफेसर, बोस संस्थान, आणविक औषधि प्रभाग , कोलकाता
2. प्रो. सरोज कुमार पाइन, विभागाध्यक्ष, पशु विज्ञान विभाग, कृषि संस्थान, विश्व-भारती
3. प्रो. (डॉ.) नीलु रोहमेत्रा, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
4. प्रो. रंजीत वर्मा, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्व प्रति-कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
5. प्रो. पायल मागो, प्राचार्य, शहीद राजगुरु महिला अनुप्रयुक्त विज्ञान महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. प्रो. मनोज खन्ना, रामजास महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
7. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ
8. डॉ. कृष्ण मुरारी, अध्यक्ष, प्रबंधन विभाग
9. डॉ. के. बिरला सिंह, अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान विभाग
10. डॉ. सोहेल फिर्दौस, अध्यक्ष, भूगोल विभाग

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सह्यता देने के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने शैक्षणिक परिषद की 25वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद निम्नानुसार विषयों पर चर्चा की गयी :

### खंड -1

#### कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

**एसी 25.1.1:** दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति

दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 29 नवंबर 2018 को परिचालित किए गए थे। परिषद के कुछ सदस्यों से मद सं AC 24.4.D1 पर टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थी जिसके लिए इस बैठक में के अलग से एक एजेंडा रखी गयी है।

परिषद ने 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 24 बैठक के कार्यवृत्त को मद सं 24.4.D1 में उल्लेखित विषय को छोड़कर सभी सदस्यों को 29 नवंबर 2018 को परिचालित किए जाने के अनुसार पुष्टि की।

**एसी 25.1.2:** दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

### खंड -2

#### सूचनात्मक विषय

**एसी 25.2.1:** विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस

परिषद ने प्रत्येक विद्यापीठ में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस को नोट किया।

### खंड -3

#### अनुसमर्थित विषय

शून्य

### खंड -4

#### विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों, आदि के पैनल

**एसी 25.4.A1:** बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित तालिका के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी:

क्र.सं.	विद्यापीठों का नाम	विभाग का नाम	आमंत्रित किए जानेवाले बाह्य परीक्षक
1)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	मनोविज्ञान	पीएचडी शोध प्रबंध एवं पीजी प्रायोगिक एवं शोध निबंध

		मानवशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध
2)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	अंग्रेजी	पीएचडी शोध प्रबंध
		हिंदी	एमए शोध निबंध
		लिम्बू	एमए शोध निबंध
		नेपाली	पीएचडी शोध प्रबंध एवं एमए शोध निबंध
3)	जीवन विज्ञान विद्यापीठ	उद्धानिकी	बीएससी/एमएससी प्रायोगिक
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	एमएससी प्रायोगिक
		वनस्पति विज्ञान	एमएससी प्रायोगिक
4)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	कंप्यूटर अनुप्रयोग	प्रायोगिक/शोध निबंध
5)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	वाणिज्य	पीएचडी शोध प्रबंध
		शिक्षा	एम.एड शोध निबंध एवं पीएचडी शोध प्रबंध
		जनसंचार	पीएचडी शोध प्रबंध
		प्रबंधन	पीएचडी शोध प्रबंध
6)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	इतिहास	एमफिल शोध निबंध एवं पीएचडी शोध प्रबंधन
		समाजशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध
		शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन	पीएचडी शोध प्रबंध
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पीएचडी शोध प्रबंध
		अर्थशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध

जीवन विज्ञान विद्यापीठ के कुछ सदस्यों ने पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के पैनल का मुद्दा उठाया। यह स्पष्ट किया गया था कि पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए परीक्षकों के पैनल को परीक्षा नियंत्रक को भेजे जाने से पहले विद्यापीठ बोर्ड के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शैक्षणिक परिषद के समक्ष को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

#### ख. पाठ्य-विवरण से संबंधित विषय/पाठ्यक्रम आदि

**एसी 25.4.B1:** चीनी में एक सेमेस्टर/6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने और मसौदा पाठ्य-विवरण की सिफारिश का प्रस्ताव

डॉ. धृति रॉय, प्रभारी, चीनी विभाग ने एक सेमेस्टर/ 6 महीने के लिए चीनी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने का सुझाव देते हुए इस मद को प्रस्तुत किया।

परिषद ने चीनी में एक सेमेस्टर/6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम के मसौदे को मंजूरी दी। हालांकि, शैक्षणिक परिषद ने कुलपति को स्थान और संकायों की उपलब्धता को ध्यान में

रखते हुए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए दी जाने वाली सीटों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

**एसी 25.4.B2: औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में एमफिल और पीएचडी के कोर्स वर्क के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका**

सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार वर्मा ने औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में एमफिल और पीएचडी के लिए कोर्स कार्य का मसौदा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में कोर्स वर्क को चलाने के लिए बुनियादी संरचना विभाग में उपलब्ध है।

परिषद ने औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में एमफिल और पीएचडी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम को मंजूरी दी।

**एसी 25.4.B3: "पशु शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन" में नई विशेषज्ञता के लिए प्राणिविज्ञान का पाठ्यक्रम विवरणिका**

डॉ. भोज कुमार आचार्य, सहायक प्राध्यापक, प्राणिविज्ञान विभाग ने "पशु शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन" में नई विशेषज्ञता के लिए मसौदा पाठ्यक्रम विवरणिका प्रस्तुत किया।

परिषद ने प्राणिविज्ञान में एमएससी में "पशु शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन" में नई विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका को मंजूरी दी।

**एसी 25.4.B4: एम. फार्मा (फार्मास्युटिकल विश्लेषण)**

डॉ. एन.आर. भूयाँ, प्राचार्य, हिमालयन फार्मसी इंस्टीट्यूट्स ऑफ एम.फार्मा (फार्मास्युटिकल एनालिसिस) के मसौदा पाठ्यक्रम विवरणिका को प्रस्तुत किया। यह नोट किया गया था कि पाठ्यक्रम पीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

परिषद ने एम.फार्मा (फार्मास्युटिकल एनालिसिस) के पाठ्यक्रम विवरणिका को अनुमोदित किया।

**एसी 25.4.B5: एम.कॉम पाठ्यक्रम संरचना/पाठ्यक्रम विवरणिका**

प्रो. अभिजीत दत्ता, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम विवरणिकाओं को मंजूरी दी।

1. वित्तीय संस्थान एवं बाजार
2. वित्तीय सेवाएँ

परिषद की इच्छा थी कि पाठ्यक्रमों का संहिताकरण परंपरा के अनुसार किया जाए।

**एसी 25.4.B6: संगीत में एमफिल/पीएचडी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम विवरणिका में संशोधन**

प्रो. संजय बंदोपाध्याय, संगीत विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद चाहा कि कुलपति, अन्य विश्वविद्यालय में संगीत में एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम विवरणिका के अनुरूप पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

**एसी 25.4.B7: बी.एड का पाठ्यक्रम विवरणिका**

शिक्षा विभाग की अध्यक्ष डॉ. योडिडा भूटिया ने इस मद को प्रस्तुत किया। यह बताया गया कि पाठ्यक्रम एनसीटीई विनियमन के अनुसार है।

परिषद ने बी.एड पाठ्यक्रम के मसौदा पाठ्यक्रम विवरणिका को अनुमोदित किया।

**एसी 25.4.B8: सूचना प्रौद्योगिकी (बी.वॉक-आईटी) में बी.वोक पाठ्यक्रम विवरणिका**

डॉ. स्वरूप राँय, अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी (बी.वॉक-आईटी) में बी.वोक के पाठ्यक्रम विवरणिका प्रस्तुत किया।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी में बी.वोक के मसौदा पाठ्यक्रम को मंजूरी दी।

**एसी 25.4.B9: बौद्ध धर्म और तिब्बती अध्ययन में एमए पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम विवरणिका**

सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) बौद्ध धर्म और तिब्बती अध्ययन में एमए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। पाठ्यक्रम विवरणिका का मसौदा तैयार करने के लिए एनआईटी ने प्रो. यूंगचूक दोर्जी, केंद्रीय उच्च शैक्षणिक आधाययन संस्थान, सारनाथ वाराणसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सांगमु थेंडुप ने सिलेबस ड्राफ्टिंग में सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. सांगमु थेंडुप ने एनआईटी की ओर से बौद्ध धर्म और तिब्बती अध्ययन में एमए का मसौदा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने महसूस किया कि पाठ्यक्रमों का पुनः संरक्षण विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाना है। पाठ्यक्रमों का पुनः संरक्षण प्रो.एन.के. पासवान द्वारा किया जाए और इसके बाद मसौदा और पाठ्यक्रम अपनी अगली बैठकों में शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुसमर्थन की शर्त पर अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत किया जा सकता है।

**एसी 25.4.B10: कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी तथा सिविल अभियांत्रिकी में बी.टेक के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका**

कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. मोहन प्रताप प्रधान ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने महसूस किया कि मूल्यांकन भाग में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। परिषद ने यह भी सलाह दी कि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के लिए एक समान मूल्यांकन तंत्र को अपनाया जा सकता है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विसंगतियों को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने के बाद पाठ्यक्रम विवरणिका को शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में अनुसमर्थित किए जाने के अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत किया जाए।

यह भी सुझाव दिया गया था कि अन्य सेमेस्टर के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम बहुत पहले ही रखा जाए।

**एसी 25.4.B11: मनोविज्ञान में पीजी पाठ्यक्रम विवरणिका में लघु परिवर्तन**

डॉ. सत्यानंद पंडा, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया।

परिषद ने मनोविज्ञान में पीजी पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव को मंजूरी दी।

**ग. विविध विषय**

**एसी 25.4.C1: एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं पर यूजीसी विनियम, 2016 तथा उसमें किए गए संशोधनों को अपनाना**

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 5 मई 2016 को एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं के लिए विनियमों को

अधिसूचित किया है और 27 अगस्त 2018 और 16 अक्टूबर 2018 को इसके लिए दो संशोधन जारी किए हैं। विचार-विमर्श के बाद परिषद ने एम.फिल/पीएचडी डिग्री 2016 के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं पर यूजीसी विनियमों और उसमें किए गए संशोधनों को अपनाया गया।

परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल) कार्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) कार्यक्रम के संचालन के लिए नियमन को संरेखित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने हमारे विनियमों में आवश्यक परिवर्तन प्रस्तुत किए। हालाँकि, परिषद ने प्रस्तावित संशोधित विनियमों में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया। परिषद ने इच्छा प्रकट की कि समिति विश्वविद्यालय के उक्त विनियमों के लिए सुझाए गए परिवर्तनों को एक बार पुनः देखें ताकि एम.फिल / पीएचडी डिग्री, 2016 के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया पर यूजीसी विनियमन 2016 के साथ संरेखित हों।

#### **एसी 25.4.C2: उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए यूजीसी विनियम, 2018 को अपनाना**

16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 24 वीं बैठक में उक्त यूजीसी विनियमों को अपनाने पर विचार किया गया था। परिषद ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक अखंडता और साहित्यिक चोरी की रोकथाम की नीति थी जिसमें किसी भी थीसिस को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं थी जिसमें (उद्धृत कार्य, संदर्भ, ग्रंथ सूची, सामग्री की तालिका, प्रस्तावना और पावती आदि को छोड़कर) साहित्यिक चोरी 20% से अधिक थी। यह उल्लेख किया गया था कि यूजीसी विनियम केवल 10% की सहिष्णुता रखते हैं और यूजीसी विनियमों ने विभागीय शैक्षणिक अखंडता पैनल (डीएआईपी) और संस्थागत शैक्षणिक एकीकरण पैनल (आईएआईपी) और निर्धारित दंड सुनिश्चित किए हैं।

परिषद ने 16 नवंबर 2018 को आयोजित परिषद की 24 वीं बैठक में 10% तक साहित्यिक सहिष्णुता के साथ सैद्धांतिक रूप से यूजीसी विनियमों को स्वीकार किया था। यह भी सिफारिश की गई थी कि सिफारिशों के अन्य पहलुओं पर विचार करने तथा इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए कुलपति एक समिति का गठन करें। शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों को दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। तदनुसार, कुलपति ने प्रोफेसर ए.एस. चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रोफेसर एसएस शर्मा, डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय और डॉ. प्रवीण मिश्रा को सदस्यों के रूप में लेकर एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति के अध्यक्ष प्रो। ए.एस. चंदेल को सदस्यों से रिपोर्ट के बारे में अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम, 2018 को अपनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद को सिफारिश की। परिषद ने कार्यान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट में समिति द्वारा दिये गए सुझावों के अनुमोदन के लिए भी सिफारिश की।

#### **एसी 25.4.C3: विभागीय शोध समिति (डीआरसी) पर मसौदा अध्यादेश**

प्रो. एन. के. पासवान ने इस मद को प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श के बाद परिषद ने पाया कि न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं के लिए यूजीसी विनियमों में दिये गए अनुसंधान सलाहकार समिति की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया है। चूंकि सदस्यों के बीच कुछ भिन्न विचार थे, इसलिए इस मद को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

### **घ. विविध विषय**

#### **एसी 25.4.D1: परियोजनाओं के ऊपरी व्यय मद से अनुबंध आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति**

परिषद ने उल्लेख किया कि 16 नवंबर 2018 को आयोजित शैक्षणिक परिषद 24 वीं बैठक में परियोजनाओं के ऊपरी व्यय शुल्क से संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई थी। उक्त मद के कार्यवृत्त में कुछ सदस्यों द्वारा यह कहते हुए आपत्ति की गई थी कि वे कार्यवृत्त में उल्लेखित के अनुसार शैक्षणिक परिषद के निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऊपरीव्यय शुल्क से संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति पर चर्चा की गई थी, लेकिन यह 30% हिस्सेदारी से नहीं थी।

कुछ सदस्यों ने बताया कि प्रयोगशाला या क्षेत्र कार्य से जुड़े परियोजनाओं में उपकरणों की मरम्मत जैसे कुछ मदों को परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है। ज्यादातर मामले में वित्तपोषित करने वाली एजेंसी उन छोटे मदों को पूरा करने के लिए निधि नहीं देती है। अधिकतर विज्ञान विभागों की परियोजनाओं के लिए ऐसा होता है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के उपरि प्रभार के तहत निम्नानुसार निर्णय लिया जा सकता है :

- i) मरम्मत जैसे अनपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए प्रधान अन्वेषक के लिए 20% जो कि परियोजना बजट में पूरा नहीं किया गया है। यह राशि प्रधान अन्वेषक को नकद में भुगतान नहीं की जाएगी, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रक्रियाओं के अनुसार खर्च की जा सकती है।
- ii) परियोजना से संबंधित कार्य की देखभाल के लिए प्रशासनिक/वित्त विभागों में संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए 20%। संविदा कर्मचारियों को विशेष रूप से परियोजना के निपटान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अन्य विभागीय/ प्रशासनिक कार्यों में भाग लेना होगा।
- iii) अनुसंधान परियोजनाओं और प्रकाशन पुरस्कार देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 60% प्रतिधारित किया जाएगा।

#### **एसी 25.4.D2: शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए यूजीसी द्वारा प्रकाशन के लिए एनएएस रेटेड पत्रिका की मान्यता**

शैक्षणिक परिषद ने यूजीसी द्वारा शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकैडमी (एनएएस) द्वारा निर्धारित जर्नलों की सिफारिश करने के लिए जीवन विज्ञान विद्यापीठ की दिनांक 28 मई 2019 में आयोजित बैठक में दिये गए सुझावों को मंजूरी देने की सिफारिश की।

#### **एसी 25.4.D3: प्रो. अविनाश खरे, कुलपति द्वारा पीएचडी छात्रों के पर्यवेक्षण**

शैक्षणिक परिषद ने कुलपति प्रो अविनाश खरे द्वारा पर्यवेक्षण के लिए पीएचडी छात्र (ओं) के आवंटन के लिए भौतिक विज्ञान विद्यापीठ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

#### **एसी 25.4.D4: पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने के लिए दिशा-निर्देशों में परिवर्तन का प्रस्ताव**

परीक्षक के सुझाव के अनुसार पीएचडी शोध प्रबंध में लघु संशोधनों को शामिल करने के लिए पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु भौतिक विज्ञान विद्यापीठ के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था।

विचार-विमर्श के बाद इस मद को अकादमिक परिषद की अगली बैठक में स्थगित कर दिया गया।

#### **एसी 25.4.D5: कंप्यूटर अनुप्रयोग के विभाग का नाम बदलने और एम.टेक (सीएसई) पाठ्यक्रम का शुरू करने का प्रस्ताव :**

परिषद ने कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के नाम को कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के रूप में बदलने के लिए तथा एम.टेक(सीएसई) पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु भौतिक विज्ञान विद्यापीठ के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया।

विचार-विमर्श के बाद यह नोट किया गया कि विभाग के नाम में बदलाव के लिए उन विधियों में संशोधन की आवश्यकता है, जिन्हें विजिटर की मंजूरी की आवश्यकता है। एम.टेक (सीएसई) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यह विमर्श किया गया था कि विश्वविद्यालय वर्तमान में किराए के भवनों से कार्य कर रहा है और इसलिए एम.टेक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा। एमएड कोर्स के लिए एआईसीटीई की मंजूरी पर भी चर्चा हुई।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कंप्यूटर अनुप्रयोग और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करने और फिलहाल एम.टेक कोर्स की शुरुआत को स्थगित करने का निर्णय लिया।

## खंड 5

### प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

**एसी 25.5.1:** दिनांक 17 मई 2019 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 25.5.2:** दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.3:** दिनांक 20 मई 2019 को आयोजित जीवन विज्ञान विद्यापीठ की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.4:** दिनांक 22 मई 2019 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.5:** दिनांक 22 मई 2019 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.6:** दिनांक 29 मई 2019 को आयोजित सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.7:** दिनांक 19 मार्च 2019 को आयोजित डीन समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

**एसी 23.5.8:** दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त नोट किया गया ।

परिषद ने निम्नलिखितों पर विशेष स्वीकृति दी :

1. फार्मास्युटिकल रसायनिकी के लिए संशोधित बी.वोक. पाठ्यक्रम विवरणिका
2. सुझाए गए सुधारों के लिए स्थायी रूप से संबद्ध चार महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्टों को संबंधित महाविद्यालयों को भेजी जाए ।
3. पूर्ववर्ती सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग (अब नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, तादोंग) में पीजी केंद्रों के विस्तार का नवीकरण

## खंड - 6

### अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-  
(टी.के.कौल)  
कुलसचिव एवं सचिव  
शैक्षणिक परिषद

हस्ता /-  
(प्रो. अविनाश खरे)  
कुलपति एवं अध्यक्ष  
शैक्षणिक परिषद